

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/304-310

दिनांक :-15 अप्रैल 2013

शुद्धि - पत्र

विभाग के आदेश संख्या 16/2013-14 क्रमांक 161-245 दिनांक 9.4.2013 के क्रम संख्या 27 पर अंकित श्री लोकेश माथुर के नाम के आगे कालम संख्या 8 पर अंकित कार्यालय का नाम "मुख्य वन संरक्षक जयपुर" के स्थान पर 'पंजीयक सहकारी विभाग, जयपुर' पढा जावे ।



निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/304-310
प्रतिलिपि:-

दिनांक :- अप्रैल 2013

- 1 शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
- 2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 3 पंजीयक, सहकारी विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था कराये ।
- 4 श्री लोकेश माथुर, मकान नम्बर 69/281 वीटी रोड, मानसरोवर जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने अंकित कालम संख्या 8 में दिनांक 30 अप्रैल 2013 तक आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
- 5 विशोषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- 6 निजी सहायक, निदेशक
- 7 गोपनीय शाखा
- 8 रक्षित/निजी पत्रावली



अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)